दिनांक–12.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्री अखिलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से क्रमशः 17 एवं 05 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। सीतामढ़ी के DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिलो द्वारा सभी लंबित कंडिकाओ का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 154.74 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार

भवन, प्रतिनिधि भत्ता, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति एवं एम0एन0वाई0(प्रशासनिक व्यय)/लेखापाल–सह–आई0टी0सहायक एवं तकनीकी सहायक मानदेय/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक का मानेदय की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) सीतामढ़ी जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। ACEO, जिला परिषद ने बताया कि लगभग 4.5 करोड़ रूपये की राशि Fully Vouched होने के कारण महालेखाकार, पटना द्वारा समायोजित कर दिया गया है। साथ ही 12वॉ वित्त आयोग से संबंधित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण UC तैयार करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। DDC को निदेश दिया गया कि Treasury Officer, प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक कर Pre CFMS की UC यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

Post CFMS Period में कुल 327.01 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीमामढ़ी)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सीतामढ़ी जिले में Allotment No. 16(AA) दिनांक–19.07.2026 द्वारा DDC कार्यालय को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करायी राशि से संबंधित लगभग 13.37 लाख रूपये की UC लंबित है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2022–23 तक का कुल 1.25 लाख रूपये की UC लंबित है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सीमामढ़ी)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः कुल 4819 एवं 5422 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 3115 एवं 4489 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 2513 एवं 2942 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया एवं सीमामढ़ी)

V. **मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में क्रमशः कुल 614 एवं 655 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 579 एवं 533 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 24 एवं 68 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीमामढ़ी)

VI. **जन–शिकायत–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 04 एवं 15 मामलों के विरूद्ध 02 एवं 09 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीमामढ़ी)

VII. **निगरानी से संबंधित मामले–**

सीतामढ़ी जिले में कुल 01 मामला निगरानी के लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलंब सभी मामलो का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सीमामढ़ी)

VIII. **CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 03 एवं 09 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग–इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग–इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीमामढ़ी)

लगातार.....

IX. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में सभी Aspiration निष्पादन हो चुका है। सितम्बर माह में 102 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

कटिहार जिले में जुन, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 में क्रमशः कुल 17, 03, 07 एवं 05 Aspirations लंबित है। सितम्बर माह में 14 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीमामढ़ी)

X. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

01. पूर्णिया– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 80 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 77 का हस्तांतरण हो चुका है। भवानीपुर, जलालगढ़ एवं कस्बा प्रखंड में 01–01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 72 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 72 में RTPS केन्द्र, 72 में विद्युत कनेक्शन, 30 में डाकघर, 54 में NOFN एवं 58 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। 65 PSB में सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 72 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 43 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो

लगातार.....

पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 25 PSB के विरूद्ध 10 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 03 पंचायतों में प्रथम तल प्लिंथ स्तर, 02–02 पंचायतो में प्रथम तल लिंटर स्तर, प्रथम तल की छत ढलाई एवं द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। 06 पंचायतो में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज मे है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 19 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 02 का निराकरण हुआ है। 03 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 04 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतो में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। जिन पंचायतो में समस्या का निराकरण हो चुका है, वहाँ संबंधित BPRO स्थल भ्रमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 04 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा सभी 04 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 04 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध सभी 04 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 02 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

02. सीतामढ़ी– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 86 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 81 का हस्तांतरण हो चुका है। बथनाहा, बोखरा, परिहार प्रखंड में 01–01 एवं सोनबरसा प्रखंड में 02 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

लगातार.....

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 80 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 80 में RTPS केन्द्र, 80 में विद्युत कनेक्शन, 30 में डाकघर, 00 में NOFN एवं 34 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 80 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 36 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 26 PSB के विरूद्ध मात्र 04 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 02–02 पंचायतों में प्रथम तल प्लिंथ स्तर, प्रथम तल लिंटर स्तर एवं द्वितीय तल लिंटर स्तर, 05 प्रथम तल की छत ढलाई तथा 04 पंचायतों में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। 07 पंचायतों में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 22 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 03 का ही निराकरण हुआ है। 05 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 06 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर Law and Order समस्या/ग्रामीणो द्वारा कार्य पर रोक लगाया गया है। निदेश दिया गया कि DDC अपने स्तर से Law and Order समस्या वाले भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 17 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध 14

पंचायतों में भूमि उपलब्ध है। TA द्वारा सभी 14 का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 13 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु एक भी पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

XI. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया जिले में अद्यतन स्थिति तक 230 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 60 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से मात्र 26 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 24 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से किसी भी पंचायत में व्यय की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सीतामढ़ी जिले में अद्यतन स्थिति तक 258 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 22 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 22 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 19 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से सभी 19 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु किसी भी पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

XII. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

01. पूर्णिया– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 225 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

लगातार.....

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 72, पंचायत समिति में 58 एवं ग्राम पंचायत में 139 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

02. सीतामढ़ी– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 311 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से पंचायत समिति में 08 एवं ग्राम पंचायत में 49 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

XIII. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

01. पूर्णिया– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	28.55%
02	पंचायत समिति	47.99%
03	ग्राम पंचायत	67.31%

बरहरा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

(ख) यह भी पाया गया है कि पूर्णिया जिले के लगभग सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

लगातार.....

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 771 के विरूद्ध 174, पंचायत समिति में 1633 के विरूद्ध 779 एवं ग्राम पंचायत में 19657 के विरूद्ध 4097 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) 15 लाख से उपर जिला परिषद में 04 Schemes ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. बरहरा प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. DDC एवं DPRO पूर्णिया जिले के ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. DDC जिला परिषद में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

02. सीतामढ़ी– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	17.20%
02	पंचायत समिति	53.73%
03	ग्राम पंचायत	62.66%

रीगा एवं परिहार प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

(ख) यह भी पाया गया है कि सीतामढ़ी जिले के लगभग सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में Availble Balance के विरूद्ध Balance Liabilities बहुत अधिक है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

(ग) डुमरा, परिहार, सोनबरसा एवं सुरसंड प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(घ) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1278 के विरूद्ध 74, पंचायत समिति में 2369 के विरूद्ध 06 एव ग्राम पंचायत में 17423 के विरूद्ध 55 योजना ही पूर्ण की गयी है।

लगातार.....

(ङ) 15 लाख से उपर जिला परिषद में 02, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में 01–01 Schemes ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. रीगा एवं परिहार प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।

2. DDC एवं DPRO सीतामढ़ी जिले के ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओ की गहन समीक्षा कर संयुक्त प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं मे राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओ को Abandoned करें।

3. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

4. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

5. DDC एवं DPRO विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी)

XIV. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

01. पूर्णिया– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	24.17%
पंचायत समिति	57.80%
ग्राम पंचायत	40.47%

पूर्णिया पूर्वी एवं बैसा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) बनमनखी प्रखंड में 07, कस्बा प्रखंड में 05, बैसा, भवानीपुर एवं दगरूआ प्रखंड में 04–04, धमदाहा एवं जलालगढ़ प्रखंड में 03–03, बैसी, बरहरा एवं रूपौली प्रखंड में 02–02, कृत्यानंद एवं पूर्णिया पूर्वी प्रखंडों में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

लगातार.....

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 394 के विरूद्ध 76, पंचायत समिति में 672 के विरूद्ध 406 एवं ग्राम पंचायत में 3522 के विरूद्ध मात्र 2036 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. पूर्णिया पूर्वी एवं बैसा प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए तथा विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया)

02. सीमामढ़ी– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	12.97%
पंचायत समिति	17.61%
ग्राम पंचायत	24.66%

जिला परिषद एवं सुप्पी, मेजरगंज एवं बैरगनिया प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) रून्नीसैदपुर प्रखंड में 10, सोनबरसा प्रखंड में 07, परिहार प्रखंड में 06, बथनाहा एवं सुप्पी प्रखंड में 04, बाजपट्टी प्रखंड में 03, डुमरा एवं सुरसंड प्रखंडो में 02–02 एवं पुपरी, मेजरगंज, बेलसंड एवं बैरगनिया प्रखंड में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 292 के विरूद्ध 02, पंचायत समिति में 738 के विरूद्ध 91 एवं ग्राम पंचायत में 4077 के विरूद्ध मात्र 918 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

लगातार.....

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. DDC जिला परिषद में व्यय में प्रगति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही सुप्पी, मेजरगंज एवं बैरगनिया प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।

2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीमामढ़ी)

XV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में क्रमशः 3920 एवं 9126 लक्ष्य के विरूद्ध 2550 एवं 9126 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। पूर्णिया जिले में अधिष्ठापित लाईटो की स्थिति दयनीय है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की कुल संख्या क्रमशः 804 एवं 804 है।

(ख)–(1) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया जिले के 03 प्रखंडो में एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान की गयी राशि काफी कम है। बनमनखी प्रखंड में शून्य राशि का भुगतान हुआ है। पृच्छा करने पर उक्त प्रखंड के BPRO ने बताया कि सोलर लाईट के लिए संरक्षित राशि का व्यय अन्य योजना में किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(2) चतुर्थ चरण में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा, डुमरा, नानपुर, रीगा एवं रून्नीसैदपुर प्रखंडो के BPRO के अनुसार एजेंसी को 100% भुगतान किया गया है, परंतु एजेंसी द्वारा पृच्छा करने पर बताया कि उन्हें उक्त 05 प्रखंडों में मात्र लगभग 30–40% राशि का ही भुगतान किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि उक्त प्रखंडो के BPRO द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो उनके विभागीय कार्यो में लापरवाही को दर्शाता है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया में 84% एवं कटिहार जिले में 23% मामलो का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 09.10.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में क्रमशः 85% एवं 88% सोलर लाईट ON पाई गयी है।

लगातार.....

साथ ही यह भी पाया गया कि सीतामढ़ी जिले में 17 प्रखंडों के विरूद्ध मात्र 09 प्रखंडो के BPRO द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। सुप्पी प्रखंड के BPRO द्वारा मात्र 01 लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. पूर्णिया जिले के DPRO को निदेश दिया गया कि एजेंसी से समन्वय कर दिनांक– 15.11.2026 तक 100% लाईटो का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें।

एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. (i) पूर्णिया जिले के DPRO को निदेश दिया गया कि बनमनखी प्रखंड में व्यय की गयी राशि की जाँच कर संबंधित मुखिया, तकनीकी सहायक एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(ii) सीतामढ़ी जिले के बथनाहा, डुमरा, नानपुर, रीगा एवं रून्नीसैदपुर प्रखंडो के BPRO के विरूद्ध विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

3. पंचायत सचिव के द्वारा पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी एवं प्रशाखा–03)

XVI. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी)

XVII. लंबित न्यायिक वाद :–

पूर्णिया जिले में 02 CWJC एवं 01 MJC तथा सीतामढ़ी जिले में 12 CWJC एवं 01 MJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी एवं प्रशाखा–9)

लगातार.....

XVIII. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी)

XIX. विधान सभा/परिषद–

पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में क्रमशः 11 एवं 12 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी एवं प्रशाखा–09)

XX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। पूर्णिया एवं सीतामढ़ी जिले में भी क्रमशः 59 एवं 53 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/15222**/पं०रा० पटना, दिनांक** 27/10/**2026**

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

लगातार.....

ज्ञापांकः–14प० / कार्यवाही–02–02 / 2026 / 15222 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 27/10/**2026**

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प० / कार्यवाही–02–02 / 2026 / 15222 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 27/10/**2026**

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/10/26

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी